

वकुलाय उप०।

वारी एवं प्रतिवादीगण स्वयं उप०।  
जिन्होंने आपसी राजीनामा पेश किया जिस  
पर वारी, प्रतिवादीगण ने अपने-अपने  
अधिवक्ताओं द्वारा पहचान की गयी। पत्रावली  
आयंदा दि० - 09.07.2019 को पेश होगी

सहायक कलेक्टर

मीरनलाल

अधिवक्ता  
दुर्गादास

9/7/19

वकुलाय उप०।

पूर्व पेशी दि० 30/5/2019 को वारी एवं  
प्रतिवादीगण मध्य अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त  
प्रकरण में दोनों सगे भाई हैं, दोनों भाई  
होने के नाते लोक अदालत की भावना से  
उत्तर होकर राजीनामा कर दिया है वारी  
उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा से  
चलना नहीं चाहता है स्वयं पक्षकारान्  
अपना-अपना वहन करेंगे वारी अपने  
टुक व अधिकार को सुरक्षित रखते हुए  
वाद वापस ले रहा है का राजीनामा  
प्राप्त पेश किया।

अतः प्रस्तुत राजीनामा प्राप्त पक्षकार  
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि  
वारी इस वादग्रस्त भूमि वास्तु प्रतिवादी-  
गण व अन्य के विकट मविष्य में कोई  
वाद प्रस्तुत नहीं करेगा।

पत्रावली फैललशुभाहोकर  
नम्बर से कम है।

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)